



कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0बजट-17 / 2016-539 दिनांक : 18.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल / गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल / रामगढ़ वन प्रमण्डल / धनबाद वन प्रमण्डल / बोकारो वन प्रमण्डल / देवघर वन प्रमण्डल / गोड्डा वन प्रमण्डल / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका / विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका / वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण एवं सीसल वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल रु0 341.104 लाख (तीन करोड़ एकतालीस लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0बजट-19 / 2016-04 / व0प0 राँची दिनांक 30.05.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट-19 / 2016-14 / आ0 व0प0 दिनांक 02.05.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 341.104 लाख (तीन करोड़ एकतालीस लाख दस हजार चार सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101580103	298.082
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101580323	43.021
कुल :-		341.103

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (घ) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को सम्पर्क एवं वित्तीय व्ययता प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (घ) पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601101580103 तथा पी0 19S24060 101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत विशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं किसी लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय-नेशिच्त रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य

वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

12. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

13. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित तर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-17 / 2016-539 दिनांक-18.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ देवघर/ दुमका/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-17 / 2016-539 दिनांक-18.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ रामगढ़/ धनबाद/ बोकारो/ देवघर/ गोड़डा/ हजारीबाग/ कोडरमा/ दुमका/ डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			7035.21	961.00	7996.21
i	iii	iv	viii	ix	x
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रम0, गिरिडीह	250	17.588	2.403	19.991
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रम0, गिरिडीह	200	14.070	1.922	15.992
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	200	14.070	1.922	15.992
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	152	10.694	1.460	12.154
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	150	10.553	1.442	11.995
6	देवघर वन प्रमण्डल देवघर	200	14.070	1.922	15.992
7	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	60	4.221	0.577	4.798
8	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	150	10.553	1.442	11.995
9	साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा	200	14.070	1.922	15.992
10	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	200	14.070	1.922	15.992
11	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	115	8.090	1.105	9.195
12	विश्व खाद्य कार्पक्रम प्र0, दुमका	90	6.332	0.865	7.197
योग :-		1967.00	138.381	18.904	157.285

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			9533.51	1590.00	11123.51
i	iii	iv	viii	ix	x
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रम0, गिरिडीह	90	8.580	1.431	10.011
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रम0, गिरिडीह	60	5.720	0.954	6.674
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	90	8.580	1.431	10.011
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	90	8.580	1.431	10.011
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	100	9.534	1.590	11.124
6	देवघर वन प्रमण्डल देवघर	60	5.720	0.954	6.674
7	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	60	5.720	0.954	6.674
8	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	90	8.580	1.431	10.011

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री		कुल राशि
				7035.21	961.00	
i	iii	iv	viii	ix	x	
9	साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा	60	5.720	0.954	6.674	
10	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	50	4.767	0.795	5.562	
11	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	90	8.580	1.431	10.011	
	योग :—	840	80.081	13.356	93.437	

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री		कुल राशि
				13031.13	2138.50	
i	iii	iv	viii	ix	x	
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	60	7.819	1.283	9.102	
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	60	7.819	1.283	9.102	
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	70	9.122	1.497	10.619	
4	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	30	3.909	0.641	4.550	
5	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	90	11.728	1.925	13.653	
	योग :—	310	40.397	6.629	47.026	

अनुलग्नक-1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत सीसल वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री		कुल राशि
				39223.31	4133.00	
i	iii	iv	viii	ix	x	
1	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची	100	39.223	4.132	43.355	
	योग :—	100	39.223	4.132	43.355	
	सकल योग :—	3217	298.082	43.021	341.103	


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2 (क)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधे प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे)	सामग्री (रु० मे)	कुल व्यय (रु० मे)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सामग्री का विवरण (वर्ष)							
1	एक कोडनी नेकौनी	हेक्टेक्टर	14.00	3497.62	0.00	3497.62	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०, यूरिया, जैविक खाद, किटनालक आदि)	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा	स्थल	12.16	3037.93		3037.93	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेक्टेक्टर	2.00	499.66	176.00	675.66	
योग :-			28.16	7035.21	961.00	7996.21	

अनुलग्नक-2 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम— वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी. x 2 मी.)

मजदूरी दर : 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे)	सामग्री (रु० मे)	कुल व्यय (रु० मे)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सामग्री का विवरण (वर्ष)							
1	एक कोडनी नेकौनी	हेक्टेक्टर	23.00	5746.09	0.00	5746.09	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेक्टेक्टर)	स्थल	12.16	3037.93	0.00	3037.93	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेक्टेक्टर	3.00	749.49	290.00	1039.49	
योग—			38.16	9533.51	1590.00	11123.51	

—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मीटर * 2 मीटर

मजदूरी दर : 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सामग्री का विवरण (विवरणी)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	हेक्टेक्टर	35.00	8744.05	0.00	8744.05	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पीएल/यूरिया, जैविक खाद, किटनासाक आदि)	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3037.93		3037.93	
4	मृत पौधों का प्रतिरोपण	हेक्टेक्टर	5.00	1249.15	176.00	1425.15	
गोल :—			52.16	13031.13	2138.50	15169.63	


अनुलग्नक-2 (घ)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम— सीसल वृक्षारोपण (6150 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 6150

मजदूरी दर : 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस प्रति हेक्टेक्टर	मजदूरी रु० मे०	सामग्री रु० मे०	कुल व्यय रु० मे०	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सामग्री का विवरण (विवरणी)							
1.	दो कोड़नी एवं नेवोनी	हेक्टेक्टर	145	36225.35	0.00	36225.35	
2.	उर्वरक एवं राजनिक खाद आदि	हेक्टेक्टर	0	0.00	4133.00	4133.00	
3.	सुरक्षा कार्य	हेक्टेक्टर	12	2997.96	0.00	2997.96	
गोल :—			157	39223.31	4133.00	43356.31	


प्रधान मुख्य वर्म संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय तु निर्मांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-17/2016/539

दिनांक -

18-Jun-2

क्रमांक	विधाय कांड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101530103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33800	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	3,398,700.00 रुपये तीतीस लाख अठानवे हजार सात सौ
2	S 19 240601101530103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33802	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	2,760,900.00 रुपये सत्ताइस लाख साहठ हजार नौ सौ
3	S 19 240601101530103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	33805	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	3,177,200.00 रुपये इकतीस लाख सित्योत्तर हजार दो सौ
				9,336,800.00

योगः


क्रमिक योगः

रुपये तिरनावे लाख छत्तीस हजार आठ सौ

(SELVIKRAT SINGH GAUR IFS)


SCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI



क्रमांक	विपक्ति कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101580103	33807	DHNFOR001 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	1,927,400.00
5	S 19 240601101580103	33808	BKRFOR001 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	2,008,700.00
6	S 19 240601101580103	33809	DGRFORE88 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	1,979,000.00
योग:				5,915,100.00
क्रमिक योग:				15,251,900.00
<p>रुपये एक करोड बावन लाख इकावन हजार नौ सौ</p> <p><i>[Signature]</i> (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI</p>				
Page 2 of 9		164,100,150.21	Run Date	18/6/2019

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101580103	33810	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	1,385,000.00 रुपये तेरह लाख पिचयासी हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्यजाग्रण 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601101580103	33811	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,913,300.00 रुपये उन्नीस लाख तेरह हजार तीन सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्यजाग्रण 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601101580103	33812	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	1,979,000.00 रुपये उन्नीस लाख उन्नासी हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्यजाग्रण 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
	योगः			5,277,300.00
	क्रमिक योगः		रुपये दो करोड़ पाँच लाख उन्नीस हजार दो सौ	20,529,200.00
			 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI	

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101580103	33813	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	1,883,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	रुपये अठारह लाख तिरयासी हजार सौ		
11	S 19 240601101580103	33814	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIV.DUMKA	2,839,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	रुपये अठाइस लाख उनचालीस हजार सौ		
12	S 19 240601101580103	33815	DMKFOR004 SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	633,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	रुपये छ: लाख तैतीस हजार दो सौ		
				5,356,700.00
योग:				25,885,900.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड अठावन लाख पिचयासी हजार नौ सौ	(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI		

क्रमांक	विपक्ष कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601101580103	33816	DRNFWL032 KAMLESH PANDEY CF & STATE SILVICULTURIST JHA	3,922,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		रुपये उनचालीस लाख बाइस हजार तीन सौ	
14	S 19 240601101580323	33817	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO.GIRIDIH EAST FOR. DIV.	511,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		रुपये पाँच लाख ग्यारह हजार सात सौ	
15	S 19 240601101580323	33818	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	415,900.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		रुपये चार लाख पंद्रह हजार नौ सौ	
योग:				
क्रमिक योग:				
			रुपये तीन करोड़ सात लाख पैलीस हजार आठ सौ	4,849,900.00
				30,735,800.00


(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601101580323	33819	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	485,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन प्राप्ति 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वन्यारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		रुपये चार लाख पिच्चासी हजार	
	State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
17	S 19 240601101580323	33820	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	289,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन प्राप्ति 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वन्यारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		रुपये दो लाख नवासी हजार एक सौ	
	State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
18	S 19 240601101580323	33821	BKRFOR001 RAVINDRA NATH MISHRA D F O, BOKARO	303,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन प्राप्ति 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वन्यारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		रुपये तीन लाख तीन हजार दो सौ	
	State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
<hr/>				
योग:				1,077,300.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड़ अठारह लाख तेरह हजार एक सौ			31,813,100.00

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601101580323	33822	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO, FOR, DIV, DEO.	287,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन प्राप्ति 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		रुपये दो लाख सित्यासी हजार रुपये सौ	
20	S 19 240601101580323	33823	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO, GODDA FOREST DIVISION	217,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन प्राप्ति 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		रुपये दो लाख सत्रह हजार दो सौ	
21	S 19 240601101580323	33825	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	287,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन प्राप्ति 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA		रुपये दो लाख सित्यासी हजार तीन सौ	


योग:

792,100.00



क्रमिक योग:


32,605,200.00

रुपये तीन करोड़ छब्बीस लाख पॉच हजार दो सौ



(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601101580323	33826	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	287,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वकारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme		रुपये दो लाख सित्यासी हजार छ: सौ	
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
23	S 19 240601101580323	33827	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	271,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वकारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme		रुपये दो लाख इकहत्तर हजार सात सौ	
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
24	S 19 240601101580323	33828	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	446,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वकारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme		रुपये चार लाख छयालीस हजार एक सौ	
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
				1,005,400.00
योग:				33,610,600.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड़ छत्तीस लाख दस हजार छ: सौ			
			(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)	
			PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI	

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601101580323	33829	DMKFOR004	86,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर कारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		SRI RAJ KISHOR CHAUDHARY D.F.O.W.F.P.DUMKA	रुपये छियासी हजार पैंच सौ
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
26	S 19 240601101580323	33830	DRNFWL032	413,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर कारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - आपूर्ति एवं सामग्री		KAMLESH PANDEY CF & STATE SILVICULTURIST JHA	रुपये चार लाख तेरह हजार दो सौ
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
				499,700.00
योग:				34,110,300.00
क्रमिक योग:	रुपये तीन करोड इकतालीस लाख दस हजार तीन सौ		(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI	